झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) ल०सिं०– 43 / 2001 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, देवघर के उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में देवघर जिला अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के तहत् कूप निर्माण हेतु आवंटित गेहूँ के हेराफेरी / गबन के लिए श्री सिंह के विरूद्ध देवघर थाना काण्ड सं०–432 / 91 दर्ज किया गया।

आरक्षी अधीक्षक, देवघर के पत्रांक– 1260 दिनांक– 19.06.1994 के प्रस्ताव, प्राथमिकी, काण्ड दैनिकी एवं अभिलेखों के परिशोधन के बाद विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1896 दिनांक– 12.05.2005 द्वारा देवघर थाना काण्ड सं०–432 / 1991 दिनांक– 26.12.1991 के नामजद अभियुक्त श्री प्रमोद प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, देवघर के विरूद्ध भा०द०सं०(1860) के अधिनियम सं०–45 की धारा– 409 / 408 / 420 / 467 / 465 / 468 के अधीन अपराधों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया गया।

उक्त थाना कांड सं०– 432 / 91 से संबंधित G.R.Case No. 1785 of 1991/Tr. Register No. 581 of 2015 में Learned Court of Judicial Magistrate 1st class Deoghar द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक– 08.05.2015 में श्री प्रमोद प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषमुक्त किया गया।

समीक्षा के क्रम में उक्त न्याय निर्णय को चुनौती दिये जाने के संबंध में उपायुक्त, देवधर का मंतव्य प्राप्त का करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त, देवघर द्वारा सहायक लोक अभियोजक, देवघर का पत्रांक– 9069 दिनांक– 20.07.2018 की प्रति उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि साक्षी के साक्ष्य को अपुष्ट मानकर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को रिहा किया गया है। निचली अदालत के न्याय निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देना असफल प्रयास होगा।

समीक्षोपरान्त चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषमुक्त किया गया एवं सहायक लोक अभियोजक, देवघर द्वारा भी निचली अदालत के न्याय निर्णय (साक्ष्य के अभाव में) को ऊपरी अदालत में चुनौती योग्य नहीं माना गया है। अतएव माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 2767 राँची / दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, जल संसाधन विभाग, राँची / श्री प्रमोद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत कनीय अभियंता ग्राम–नकदोई, पो०–औगांरी, थाना–एंकगरसराय, जिला–नालन्दा (बिहार) / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _L.S._43_2001_(Promod K. Singh).docx 1